पुलिसकर्मी को तीन हत्याओं में उम्रकैद, सजा बरकरार

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुरः तीन लाशें, जलता हुआ कमरा और खून से सनी टी-शर्ट... पुलिस को शुरू में यह हादसा लगा, लेकिन जब परतें खुलीं तो सामने आई एक खौफनाक साजिश। दुर्ग जिले के पुलिसकर्मी चंद्रकांत निषाद ने न केवल तीन लोगों की निर्मम हत्या की, बल्कि सबूत मिटाने के लिए उनके शवों को आग के हवाले भी कर दिया। मामला रायपुर जिले के उरला थाना क्षेत्र के ग्राम बाना का है। निचली अदालत ने पुलिसकर्मी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि यह भले ही प्रत्यक्षदर्शी वाला मामला न हो, लेकिन परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की मजबूत कड़ी और

● फाइल फोटो

आरोपित की चुप्पी ने उसे पूरी तरह से दोषी बना दिया। आरोपित के कपड़ों, उसके बताए स्थान से मिले हथियार और खून के नमूनों ने एक-एक कड़ी जोड़कर हत्या की कहानी साफ कर दी।

सभी सबूत संदेही से मैच करते गएः चंद्रकांत निषाद को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, जहां उसने हत्या कबूल की। उसके बयान पर लकड़ी का डंडा (हथियार) और सोनू निषाद के खून लगे कपड़े घटनास्थल के पास नदी किनारे से बरामद हुए। आरोपित के पास से एक टीवीएस जूपिटर स्कूटर भी जब्त किया गया, जिससे वह घटनास्थल पहुंचा था। उसने दुलारिन बाई के एटीएम से 40,000 निकालने की जानकारी होने की बात भी कबूली। एफएसएल रिपोर्ट में खून ओ ग्रुप पाया गया, जो मृतकों से मेल खाता है। आरोपित की टी-शर्ट से भी मानव रक्त मिला।

सुनवाई के दौरान कोर्ट में क्या हुआ

ट्रायल कोर्ट ने 2020 में आरोपित को तीन बार आजीवन कारावास और सबूत मिटाने के लिए 5 साल की सजा सुनाई थी। चंद्रकांत ने हाई कोर्ट में अपील की और कहा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। हाई कोर्ट ने उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि, यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, लेकिन सबूतों की हर कड़ी इतनी मजबूत है कि किसी अन्य संभावना की गुंजाइश नहीं बचती। आरोपित ने कोई स्पष्ट सफाई नहीं दी। डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि, केवल संदेह से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जब सबूतों की पूरी कड़ी बिना किसी टूट के जुड़ती है, उसे ही आखिरी बार मृतकों के साथ देखा गया हो, खून से सने कपड़े उसी के पास से मिले हों और शव जलाने की जानकारी भी उसी के पास हो और वह कोई संतोषजनक सफाई भी न दे, तो उसका दोषी होना तय है।

क्या थी पूरी घटना

रायपुर जिले के उरला थाना क्षेत्र के ग्राम बाना निवासी दुलारिन बाई अपने बेटे सोनू निषाद और संजय निषाद के साथ 9 अक्टूबर 2019 की रात घर में थी। अगली सुबह घर से धुआं उठता देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घर के अंदर तीन जले हुए शव मिले। पुलिस को लगा कि आग लगने से मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर भारी वस्तु से वार कर हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज हुआ।

इतना ही नहीं संदेही ने ही पुलिस को शव जलाए जाने की जानकारी दी, जो उसके अपराध की पुष्टि करता है। साक्ष्य छुपाने के बाद पुलिस से बचने वह खुद ही प्रार्थी बन गया था।